

महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

'उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना'

बच्चे के साथ संरक्षक
का नवीनतम पासपोर्ट
साइज संयुक्त फोटो
चर्चां करें

आवेदन—पत्र

(सभी संलग्नकों के साथ, स्वयं—सत्यापित व पूर्ण रूप से भरे गये फार्म ही स्वीकार
किये जायेंगे।)

1. आवेदक का नाम.....
2. आवेदक का बच्चे के साथ क्या संबंध हैं ? चुनेः
 - माता ()
 - पिता ()
 - संरक्षक ()
 - स्वयं ()
3. बच्चे का नाम (हिन्दी में).....
4. बच्चे का नाम (अंग्रेजी में)..... (नाम आधार
कार्ड/फोटो युक्त पहचान पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/विद्यालय सर्टीफिकेट के अनुरूप लिखें।)
5. जन्म तिथि..... जन्म स्थान (ज़िला).....
6. बच्चे की माता का नाम.....
7. बच्चे की माता की स्थिति (जीवित या मृतक).....
8. मृत्यु की तिथि व कारण (मृतक होने की स्थिति में).....
9. बच्चे के पिता का नाम.....
10. बच्चे के पिता की स्थिति (जीवित या मृतक).....
11. मृत्यु की तिथि व कारण (मृतक होने की स्थिति में).....
12. संरक्षक का नाम एवं पूर्ण पता (जिसके संरक्षण में बच्चा वर्तमान में है).....
13. संरक्षक का बच्चे से संबंध.....
14. क्या लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी है ? हाँ () नहीं ()

15. स्थायी पता पिन कोड (निवास प्रमाण पत्र हेतु राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन बुक, विद्युत बिल, जलकर रसीद, गृहकर रसीद, टेलीफोन बिल या बैंक पासबुक में से किसी एक की प्रति संलग्न करें)
16. वर्तमान पता - म0स0..... नगर/ग्राम
ग्राम. पंचायत/मोहल्ला/वार्ड..... विकास खण्ड/तहसील, जनपद-.....
पिन कोड.....
17. क्या संरक्षक के परिवार की वार्षिक आय रु0-2.00 लाख से कम है? (माता- पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में लागू नहीं) हाँ () नहीं () लागू नहीं ()
18. परिवार के सदस्यों का विवरण (आयु सहित) :-
1.....
2.....
3.....
19. आवेदक का मोबाइल नं0 (यदि उपलब्ध हो).....
20. आवेदक की आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध हो तो आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
21. आवेदक के बैंक खाते का विवरण:-
खाताधारक का नाम:..... खाताधारक का बच्चे से संबंध.....
खाता संख्या..... बैंक का नाम.....
बैंक की शाखा व पता..... आई0एफ0एस0सी0 कोड.....
- जिन श्रेणियों के लाभ हेतु आवेदन किया जा रहा है उन पर टिक (✓) करें तथा शेष में क्रास (X) कर दें:-**
- 1- 0 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बैंक खाते में रु0 4000/- (रु0 4000/-) चार हजार) प्रतिमाह की धनराशि देय होगी बशर्ते औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो। ()
- 2- ऐसे बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गये हों एवं बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अन्तर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराये गये हों, उनको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित कराने हेतु। ()
- 3- 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा-12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा तथा विद्यालयों की 03 महीने की अवकाश अवधि हेतु बच्चे की देखभाल हेतु प्रतिमाह रु0 4000 की दर से कुल रु0 12000 की धनराशि प्रतिवर्ष बैंध संरक्षक जिसकी अभिरक्षा में बच्चा हो, के बैंक खाते में धनराशि हस्तांतरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि कक्षा-12 तक या 18 वर्ष तक की आयु जो भी पहले पूर्ण होने तक ही देय होगी। ()

- 4- यदि बच्चों के संरक्षक उपरोक्त आवासीय विद्यालयों में किसी कारण से प्रवेश नहीं दिलाना चाहते हों, तो बच्चों की देखरेख व शिक्षा हेतु उनको 18 वर्ष की आयु होने अथवा कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी होने में जो भी पहले हो, तक प्रतिमाह ₹0 4000 की धनराशि दी जायेगी बशर्ते बच्चे को औपचारिक शिक्षा हेतु अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया हो। ()
- 5- उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले कक्षा-9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को Tablet/Laptop की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। ()

निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न करें:-

- बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- फोटो पहचान पत्र: पैन कार्ड, पेंशनर फोटो आईडी० कार्ड, आधार कार्ड, बोटर आईडी०, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो विभागीय पहचान पत्र में से कोई एक।
- विधिक रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- माता/पिता या माता-पिता दोनों (जैसी भी स्थिति हो), का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- एकल माता या पिता के जीवित रहने की स्थिति में आय प्रमाण पत्र (माता व पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक नहीं)।
- बच्चे का आयु प्रमाण पत्र। (किशोर न्याय (वालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण-पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।)
- संबंधित श्रेणी के शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र (6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हेतु)
- ००प्र० के निवासी होने का घोषणा-पत्र।
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
- कोविड-१९ से मृत्यु का साक्ष्य (साक्ष्य के लिए Antigen या RT-PCR के +ve test report, Blood report या C.T. scan में covid-19 का infection होना माना जा सकता है। कोविड-१९ का patient करिपय परिस्थितियों में test में negative आने के बाद भी post-covid complication से उसकी मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी covid-19 की वजह से ही मानी जायेगी।)

()

आवेदक का हस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे के निशान
 पूरा नाम
 पता.....

घोषणा—पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री
(मृतक/जीवित) मूल रूप से उम्र का निवासी हूँ मेरा स्थायी पता
..... है व वर्तमान पता
..... है मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. बालक/बालिका का नाम मेरा/मैं
(संबंध) है/हूँ, मेरी उम्र (जन्म तिथि) , जन्म स्थान है।
2. आवेदन पत्र व इस घोषणा— पत्र में मेरे द्वारा दिया गया समस्त विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में पूर्णतया सही है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया विवरण गलत है तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सम्पूर्ण अनुदान की राशि राजस्व देय की तरह वसूल कर ली जाय।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर अथवा बायें हाथ के अंगूठे के निशान)

नाम व पता

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम —

उप जिलाधिकारी (शहरी क्षेत्र हेतु)/खण्ड विकास अधिकारी(ग्रामीण क्षेत्र हेतु) की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक लाभ की श्रेणी/श्रेणियों (संख्या) हेतु पात्र है तथा योजना सम्बंधी समस्त शर्तों को पूर्ण करता है/करती है, अतः योजना का लाभ दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी/
खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर